



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

फाइल सं. NCS/DEV/2170/MIA/73/2023/ESDW (A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India) दिनांक 5.07.2024

सेवा में,

डॉ. भूषण गगरानी,  
आयुक्त,  
बृहन्मुंबई महानगरपालिका,  
मुख्यालय,  
महानगरपालिका मार्ग,  
मुंबई-400001, महाराष्ट्र  
ई-मेल: mc@mcam.gov.in  
फोन नं. : 022- 22620525

विषय: आदिवासी की जमीन पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्री दत्ताराम रामचन्द्र बिरारी, अध्यक्ष, आदिवासी विकास संस्था, भागीबाई बिरारी चाल, कोकणी पाडा, कुरार विल्लेज, मालाड (पूर्व), मुंबई-97 से दिनांक 23.08.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 05.09.2023.

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र नोटिस दिनांक 14.02.2024.


संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 12.03.2024.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री जाटोतु हुसैन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 23.07.2024 को अप्राह्न 04:40 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

  
(सूरत सिंह)  
निदेशक

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय सदस्य महोदय (जा. हु.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।